

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: आदेश :-

क्रमांक— 125 / एक-9-3/2001(S.W.) जबलपुर दिनांक 05/04/2025

पूर्व में किये गये आदेशों को अधिकमित करते हुए सूची में कॉलम नं०-(2) में उल्लेखित व्यवहार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की किसी तरह के अनुपस्थित होने की दशा में उक्त न्यायालय के **व्यवहार प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य** एवं अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का निराकरण उक्त न्यायालय के समक्ष सूची में अंकित कालम नं०-(3) के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा। किंतु यदि उक्त तिथि में कॉलम नं०-(3) में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो इस दशा में कालम नं०-(4) में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा कालम नं०-(2) में वर्णित न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य एवं अत्यावश्यक आवेदन-पत्रों का निराकरण क्रमानुसार उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

इसके अतिरिक्त यदि स्थिति यह निर्मित होती है, कि सूची में वर्णित कालम नं०-(2) के न्यायालय के कार्य हेतु अधिकृत कालम नं०-(3) एवं (4) के सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उक्त तिथि में अनुपस्थित रहते हैं तो इस दशा में अगले अनुक्रमांक के कालम नं०-(2), (3) व (4) में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य एवं अत्यावश्यक आवेदनों के निराकरण का कार्य संपादित करेंगे।

क्र	न्यायालय का पदनाम	न्यायालय का पदनाम जिसके पीठासीन अधिकारी कार्य करने हेतु अधिकृत रहेंगे	न्यायालय के पदनाम जो कॉलम नं०-(3) में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर क्रमानुसार उपलब्धता के आधार पर कॉलम नं०-(2) के न्यायालय का कार्य करने हेतु अधिकृत रहेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
जबलपुर मुख्यालय स्थित न्यायालय हेतु			
01	द्वितीय जिला न्यायाधीश, जबलपुर	तृतीय जिला न्यायाधीश, जबलपुर	1 चतुर्थ जिला न्यायाधीश, जबलपुर 2 पंचम जिला न्यायाधीश, जबलपुर 3 षष्ठम जिला न्यायाधीश, जबलपुर 4 नवम् जिला न्यायाधीश, जबलपुर
02	तृतीय जिला न्यायाधीश, जबलपुर	द्वितीय जिला न्यायाधीश, जबलपुर	1 षष्ठम जिला न्यायाधीश, जबलपुर 2 चतुर्थ जिला न्यायाधीश, जबलपुर 3 पंचम जिला न्यायाधीश, जबलपुर 4 दशम् जिला न्यायाधीश, जबलपुर
03	चतुर्थ जिला न्यायाधीश जबलपुर	पंचम जिला न्यायाधीश जबलपुर	1 नवम् जिला न्यायाधीश जबलपुर 2 दशम् जिला न्यायाधीश जबलपुर 3 तेरहवां जिला न्यायाधीश जबलपुर 4 चौदहवां जिला न्यायाधीश जबलपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नोट— यदि स्थिति यह निर्मित होती है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष सारणी के कॉलम नंबर (03) एवं (04) तथा अगले अनुक्रमांक में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त तिथि में अनुपस्थित रहते हैं तो इस दशा में जबलपुर मुख्यालय में जो वरिष्ठता क्रम में जिला न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ/कनिष्ठखण्ड) उपलब्ध रहेंगे उनके द्वारा अत्यावश्यक कार्य का निराकरण किया जावेगा।


(आलोक अवस्थी)
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठां. क्र.—

/एक-9-3/2001

जबलपुर दिनांक.....मार्च 2025

प्रतिलिपि आदेशानुसार :-

- (01) प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
- (02)जिला न्यायाधीश, जबलपुर/सिहोरा/पाटन
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर